

प्रेस-विज्ञप्ति  
जनपद कानपुर देहात।

**दिनांक:- 02.10.2021**

**थाना भोगनीपुर**

दिनांक 01.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग 470/2021 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम में अभियुक्तगण फहीम आदि 03 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना रूरा**

दिनांक 01.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग 310/21 धारा 13 सार्वजनिक जुँआ अधिनियम में अभियुक्तगण शैलेन्द्र मिश्रा आदि 04 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना शिवली**

दिनांक 01.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-453/21 धारा-457/380/411 भादवि में वाछिंत अभियुक्त मोनू कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना भोगनीपुर**

दिनांक 01.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-450/21 धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त अमन गुप्ता को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना अकबरपुर**

दिनांक 01.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0-671/14 धारा 136 विधुत अधि0 में वाछिंत अभियुक्त राजू श्रीवास्तव को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**धारा 151 दं0प्र0सं0**

दिनांक 02.10.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना भोगनीपुर 01, रसूलाबाद 09, डेरापुर 01, राजपुर 01, मूसानगर 01, अकबरपुर 04, रूरा 02, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।